अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा
भूमि विवाद अपील वाद संख्याः–283/2013

शैयद शवाह उद्दीन — अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद शैयद शवाह उद्दीन पिता शैयद निजाम उद्दीन साकिन– रसुलाबाद, थाना– बख्तियारपुर, जिला– सहरसा द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिकार वाद संख्या 35/2012 सैयद शवाहउद्दीन बनाम बिहार सरकार में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया किया गया है।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता का अपील वाद के नामांकन विन्दु पर सुना। विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि चिड़ैया थाना नं०: 257 अंचलः सलखुआ, जिलाः सहरसा के खाता नं०: 493, खेसरा नयाः 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 41, 61, 950, 810, 811, 861, 334, 208, 1695, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1376, 2863, 1374, 1375, 1705, 1421, 1422, 1455, 1252, 1683, 1372, 1459, 1461, 1439, 1620, 991, 1649, 1004, 1602, 1587, 808, 30, 279, 280, 281, 328, 331, 311, 731, 1277, 865, 930, 278, 1373, 1248, 1400, 1427, 1278, 1279, 344, 336, 730 अन्तर्गत कुल रकवाः 44 एकड़ 36 डी० भूमि है।

उक्त भूमि पुराना खतियान में खेसरा पुरानाः 01, 239, 237, 569, 835, 746, 759, 545, 485 एवं 480 के बना है जो भूमि आवेदक बन्दोबस्ती जमीन्दारी रसीद एवं बिहार सरकार के सिरिस्ते में दर्ज जमाबन्दी उन्मुलन के समय भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा दाखिल भेस्टिग के आधार पर सरकार के सिरिस्ते में जमाबन्दी सं०: 245, 295, 353, 370, 371, 204, 308, 388 एवं जौजी नं०: 3215 से प्राप्त है।

रसीदी बन्दोबस्ती जमीन्दारी एवं बिहार सरकार से प्राप्त मालगुजारी रसीद की भूमि का हाल सर्वे इन्द्राज अनाबाद बिहार सरकार खाता नं० 492, 493 बन जाने के विरूद्ध अंदर दफा 106 बी० टी० एक्ट अन्तर्गत वाद संख्याः 20711/85 में पारित आदेश वो डिक्री तद्नुसार की गयी तरमीम के आधार पर रैयती दर्ज सुधार समाहरणालय प्रति खतियान में होने पर नकल बजाप्ता प्राप्त कर नया जमाबन्दी नं० 739 से वर्श 2011–12 एवं 2012–13 का

मालगुजारी रसीद आवेदक को प्राप्त है।

आवेदक को पारिवारिक आवश्यकता के कारण विवादी भूमि बिक्री करने की आवश्यकता हुई, जिसके लिए अपर समाहर्त्ता, सहरसा को दिनांक: 17.11.11 को आवेदन दिया था जिस आवेदन के आधार पर माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर को जाँच कर निबंधन के संबंध में मंतव्य की मांग की गयी, जिस पत्र के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बख्तियारपुर ने भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 35/12 दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिश जारी किया गया। निम्न न्यायालय में वादी उपस्थित होकर वाद से संबंधित सारी कागजात दाखिल किया गया, जिसका अनदेखी एवं भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 को नियमावली 2010 की धारा 17 (1) में निहित नियम का अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया गया है।

आगे यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय ने हाल सर्वे खतियान के दर्ज किस्म धनहर को नहीं देखे वो बिना स्थलीय जाँच किये गलत आदेश पारित किये हैं, को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया।

अपील अर्जी के साथ निम्नलिखित कागजात की छाया प्रति दाखिल किया गया हैः—

तरमीम खतियान खाता 493, दिनांक 17.11.11 को देय आवेदन नामे अपर समाहर्त्ता सहरसा, पत्रांक 37—2 दिनांक 09.01.12 प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा सहरसा प्रेषित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सिमरीबख्तियारपुर ,अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियार को देय आवेदन दिनांक 09.08.2010 अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञापांक 487/ दिनांक 04.08.2010 साथ आवेदक का आवेदन एवं ज0 नं0 739 वर्श 2011—12 एवं 2012—13 , ज0 न0 245,353,370,371,295,204,308,388 बिहार सरकार एवं जमीन्दारी रसीद की छाया प्रति ,दाखिल खारिज वाद संख्या 752/2011—12 वजाप्ता सूचना के अधिकार में प्राप्त एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर का पत्रांक 510 दिनांक 14.05.13 की छाया प्रति।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता का सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि पर भूतपूर्व जमीन्दार से लगायत बिहार सरकार के सिरिस्ता तक प्राप्त मालगुजारी रसीद के आधार पर बिहार सरकार के नाम दर्ज खाता के विरूद्ध संदर्भ अधिनियम की अनुसूची 3 में वर्णित अनुसूची 1 में दी गई अधिनियमों के अन्तर्गत बी0 टी0 एक्ट की धारा 106 के अन्तर्गत वाद संख्या 20711/85 में पारित आदेश के अनुकूल खेसरा तरमीम एवं तदनुसार अंचल अधिकारी सलखुआ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 752/11—12 के आलोक में निर्गत मालगुजारी रसीद से वादी का रैयती हक प्राप्त होने का कथन किया गया है। आवेदक के द्वारा दाखिल भूमि का वर्तमान स्वरूप अनाबाद बिहार सरकार है। अपीलार्थी द्वारा अपील अर्जी में अनुतोष का समुचित आधार एवं प्रस्तुत अपील वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं हैं अतएव नामांकन बिन्दु पर ही अस्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं सेशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा